

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**

**धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत  
कतिपय कम्पनियों द्वारा कर का भुगतान**

**संघ सरकार  
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर  
2017 की प्रतिवेदन संख्या 30  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)**

**लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर ..... को प्रस्तुत**

## विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	<b>प्राक्कथन</b>	
	<b>कार्यकारी सार</b>	i-vi
	<b>सिफारिशों का सार</b>	vii-ix
	<b>अध्याय 1 : प्रस्तावना</b>	<b>1-5</b>
1.1	परिचय	1
1.2	हमने यह शीर्षक क्यों चुना	1-2
1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	2
1.4	वैधानिक रूपरेखा	2
1.5	लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और नमूना आकार	3
1.6	लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	3-4
1.7	रिकॉर्ड प्रस्तुत न किया जाना	4-5
	<b>अध्याय 2 : विशेष प्रावधानों में संदिग्धता/कमी सहित प्रणालीगत मुद्दे</b>	<b>7-36</b>
2.2	संदिग्धता/कमी का स्वरूप	7
2.3	अधिनियम के प्रावधानों में संदिग्धताएं	8
2.4	लेखाओं में उनके समाधान संबंधी विशिष्ट प्रावधानों के न होने के कारण अंकित लाभ की गणना हेतु मानी न गई आय	8
2.4.1	सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर हेतु प्रस्तुत किंतु मैट के अंतर्गत अप्रस्तुत आय	9-10
2.4.2	मैट के अंतर्गत कर हेतु प्रस्तुत नहीं की गई असाधारण/विशिष्ट मर्दे	11-12
2.4.3	समामेलक कंपनी के दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि का समाधान	13-15
2.5	“आरक्षित निधि” और “अभिनिश्चित देयता के लिए प्रावधान” दोनों के घटक वाली मर्दों का समाधान	15-18
2.6	अंकित लाभ के प्रयोजनार्थ मूल्यहास की विधि में परिवर्तन का प्रभाव	18-20

2.7	विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत लेखा बहियों के अनुसार अंकित लाभ की गणना में अग्रेनीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास का समाधान	20
2.7.1	लाभ और हानि लेखे के अनुसार अग्रेनीत लाभ और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में लाभ का विभाजन	20-21
2.7.2	अग्रेनीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास की संचयी स्थिति के बजाय उनकी पूर्व वर्ष की स्थिति को हिसाब में लेना	21-23
2.7.3	लेखा बहियों के अनुसार चालू वर्ष सहित आगामी वर्षों में अग्रेनीत कारोबार हानि/ अनावशोषित मूल्यहास की समान राशि का दावा	23-24
2.8	अधिनियम के प्रावधानों में कमियां	24
2.8.1	अंकित लाभ की संगणना में वास्तव में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण को कम करने के लिए प्रावधान न होना	25-27
2.8.2	सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कराधान हेतु फर्जी खरीद/अघोषित आय/अलेखांकित आय के कारण हुई वृद्धियों पर अंकित लाभ की संगणना में विचार नहीं किया जाना	27-28
2.8.3	मैट के अन्तर्गत लाभ एवं हानि खातों पर सीधे असर वाली मदों पर अन्तरंग मूल्य निर्धारण समायोजनों पर विचार न करना	29
2.8.4	आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के भीतर भुगतान नहीं की गई वैधानिक देयताओं पर मैट के अन्तर्गत वृद्धि हेतु विचार न करना	29-30
2.8.5	निगमित समाजिक उत्तरदायित्वो (सीएसआर) पर व्यय पर मैट के अन्तर्गत अननुमति हेतु विचार न करना	30-31
2.8.6	समामेलन के उपरान्त समामेलित कंपनी द्वारा अपने कारोबार को बन्द करने पर समामेलक कंपनी के मैट क्रेडिट की अननुमति की आवश्यकता	32-33
2.9	संक्षिप्त मामलों में मैट क्रेडिट के समंजन में आईटीडी द्वारा एक समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया	33
2.10	निष्कर्ष	33-34
2.11	सिफारिशें	34-36

	<b>अध्याय 3: मेट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा</b>	<b>37-58</b>
3.2	अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ी गईं मदें	37
3.2.1	अंकित लाभ के लिए प्रदत्त अथवा देय आयकर और उसके प्रावधान को शामिल न करना	38-39
3.2.2	अंकित लाभ के लिये किसी भी छूट प्राप्त आय से सम्बद्ध व्यय को शामिल न करना	40-41
3.2.3	अंकित लाभ की संगणना हेतु माने न गए किसी परिसम्पत्ति के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को शामिल न करना	41-43
3.2.4	अनिश्चित देयता के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को न जोड़ना	43-44
3.3	अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ से गलत कटौती	44
3.3.1	छूट प्राप्त आय या अनुवर्ती संशोधन के कारण ऐसी आय जो अब छूट-प्राप्त नहीं है को गलत रूप से कम किया गया	44-45
3.3.2	लाभ एवं हानि लेखे में क्रेडिट की गई राशियों की कटौती का गलत दावा	46-47
3.4	मैट क्रेडिट की गलत अनुमति	47-48
3.4.1	मैट क्रेडिट का गलत अग्रनयन	48-50
3.4.2	मैट क्रेडिट का अनियमित समंजन	50-51
3.5	लेखा बहियों के अनुसार अग्रणीत कारोबारी हानि/अनवशोषित मूल्यहास की गलत अनुमति	52-53
3.6	आरक्षित निधि से आहरित राशि की गलत कटौती	53-54
3.7	अंकित लाभ की गणना से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को छूट अनुमत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अननुपालन	55
3.8	संवीक्षा के लिए मामले का चयन न करना	56
3.9	मैट के विशेष प्रावधानों के अननुपालन की अन्य घटनाएं	57-58
3.10	निष्कर्ष	58
3.11	सिफारिशें	58

	<b>अध्याय 4 : कर आधार में शून्य कर कम्पनियों को शामिल करना</b>	<b>59-64</b>
4.2	निगमित निर्धारितियों द्वारा आय की रिटर्न फाइल करने की स्थिति	59-60
4.2.1	निगमित गैर फाइलकर्त्ताओं पर आईटीडी द्वारा की गई कार्रवाई	60-63
4.3	संवीक्षा निपटान के विवरणों में असमानता	63
4.4	निष्कर्ष	64
4.5	सिफारिशें	64
	<b>अध्याय 5: मैट का प्रभाव</b>	<b>65-71</b>
5.2	शून्य कर कम्पनियों की पहचान करना	65
5.2.2	मैट से संबंधित प्रावधानों के तहत शून्य कर का भुगतान कर रहीं कम्पनियों की जांच	65-67
5.3	मैट के तहत कर के भुगतान की दायी कम्पनियाँ मैट के उद्ग्रहण से अपवंचन	67-69
5.4	मैट क्रेडिट के प्रावधानों के कारण मैट योजना का उद्देश्यहीन होना	69-70
5.5	निष्कर्ष	71
	<b>परिशिष्ट</b>	<b>73-129</b>